उपराष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली
****

उपराष्ट्रपति सचिवालय में प्राप्त याचिकाओं के निपटान संबंधी दिशानिर्देश

1. उपराष्ट्रपति सचिवालय में प्राप्त सभी याचिकाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क**)** कार्रवाई योग्य याचिकाएं

(ख**)** कार्रवाई हेतु अनुपयुक्त याचिकाएं ।

2. याचिकाओं को कार्रवाई योग्य और कार्रवाई हेतु अनुपयुक्त के रूप में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित होगा:

क. <u>कार्रवाई योग्य याचिकाएं:</u>

(i) वे याचिकाएं जिनमें विशिष्ट शिकायतें शामिल हों।

(ii) वे याचिकाएं जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय**,** विभाग या संगठन में अथवा किसी लोक सेवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो।

(iii) वे याचिकाएं जिनमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हों।

(iv) वे याचिकाएं जिनमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से भेंट का अनुरोध किया गया हो।

ख**.** <u>कार्रवाई हेतु अनुपयुक्त याचिकाएं:</u>

(i) गुमनाम याचिकाएं।

(ii) अहस्ताक्षरित याचिकाएं।

(iii) वे याचिकाएं जो सीधे तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों को संबोधित न की गई हों, बल्कि उनकी केवल एक प्रतिलिपि उन्हें पृष्ठांकित की गई हो।

(iv) वे याचिकाएं जिनमें कोई विशिष्ट शिकायत न हो, बल्कि उसमें केवल सामान्य टिप्पणियां की गई हों।

(v) विभिन्न आयोगों, निकायों, पुरस्कारों, पदों पर नामांकन अथवा वित्तीय सहायता (विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत विवेकाधीन अनुदान के अतिरिक्त) के लिए किए गए अनुरोध।

(vi) वे याचिकाएं जिनमें नीचे उल्लिखित विषयों या इसी प्रकृति के अन्य मामलों में अनुग्रह की मांग की गई हो:

(क**)** विद्यालयों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु सामान्य अनुरोध।

(**ख**) भूमि, मकान या फ्लैट आदि के आवंटन हेतु सामान्य अनुरोध।

(**ग**) नौकरी दिलाने, स्थानांतरण, पदस्थापना या सरकारी आवास, इत्यादि के लिए सामान्य अनुरोध।

(vii) अभद्र एवं अशिष्ट भाषा में लिखे गए पत्र।

(viii) वे निरर्थक पत्र जो अस्पष्ट हों तथा जिन्हें समझना या पढ़ना कठिन हो।

(ix) सारहीन सुझावों वाली याचिकाएं।

(x**)** एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार भेजी जाने वाली वे याचिकाएं, जिन पर इस सचिवालय द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

टिप्पणी : किसी विशेष याचिका के वर्गीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर**,** संबंधित अवर सचिव निर्णय लेंगे कि उस पर कार्रवाई की जानी है या नहीं ।

3. कार्रवाई हेतु सभी अनुपयुक्त याचिकाओं को फाइल कर दिया जाएगा परन्तु ऐसी याचिकाओं के संबंध में कोई पावती नहीं भेजी जाएगी।

*****